"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 अगस्त 2014— श्रावण 11, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/68/2014/वाक/पांच (70).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों से, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 30-09-2014 तक छूट प्रदान करती है, यथा :-

### अनुसूची

| नियम जिनसे छूट दी गई<br>(1) | वर्ष<br>(2) | निर्बन्धन तथा शर्तें<br>(3) |
|---|---|---|
| नियम 20 (2)(ख) के अधीन विहित प्रारूप-18 का भाग-ग | वित्तीय वर्ष 2009-10 2010-11 तथा 2011-12 | जबकि भाग-ग की जानकारी :-<br>(क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा करमुक्त माल या<br>(ख) अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या<br>(ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई,<br>के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्रमांक एफ-10/68/2014/वाक/पांच (70). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/68/2014/वाक/पांच (70), दिनांक 31-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Raipur, the 31st July 2014

NOTIFICATION

No. F-10/68/2014/CT/V (70). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, from the rules as specified in column (1) of the Schedule below, for the year as specified in column (2), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) upto 30-09-2014, namely :-

SCHEDULE

| Rule from which exemption is granted<br>(1) | Year<br>(2) | Restrictions and conditions<br>(3) |
|---|---|---|
| Part-C of Form-18 prescribed under rule 20(2)(b) | Financial year 2009-10 2010-11 and 2011-12 | When the information of part-C is related with purchase or sale within Chhattisgarh State, of :-<br>(a) Goods specified in Schedule-I or goods exempted by notification, or<br>(b) Goods specified in S.No. 1 & 2 of part-III of Schedule-2, or<br>(c) Medicine at maximum retail price. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/68/2014/वाक/पांच (71). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, यथा :-

अनुसूची

| अ. क्र.<br>(1) | व्यापारियों का वर्ग<br>(2) | वर्ष<br>(3) | प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई<br>(4) | निर्बन्धन तथा शर्तें<br>(5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसची-2 के भाग-3 के | वित्तीय वर्ष 2009-10, | धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs.10 crore or more, except dealer who deals in goods specified in S.No.5 of part-III of Schedule-II | Financial Year 2009-10, 2010-11 and 2011-12 | Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and rule 20(2)(a). | When the dealer specified in column (2) after payment of due tax amount with interest, if any, file a statement online in Form-18, upto 30-09-2014, prescribed in clause (b) of sub-section (1) of section 19 of the C.G. Value Added Tax Act, 2005 and shall furnish a copy of audit report, in Form- 50 as prescribed in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, before the Commercial Tax Officer. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.